ग्राम पंचायत घुरकड़ी, विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ –176001 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत घुरकड़ी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :–

प्रधान:–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राम कृष्ण	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री संजय पत्रा	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :-

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत घुरकड़ी के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4(ग)	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.17
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.88
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.17
4	7.1	दुकानों के किराये का वसूली हेतु शेष होना	0.58
5	7.2	दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को राजस्व हानि	0.16
6	7.3	दुकानों को किराये पर आंबटित न करने व खाली रखने के कारण ग्राम पंचायत को वित्तीय हानि।	1.14
7	9.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	0.68
8	9.2	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	1.17
9	9.3	निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु अधिक भुगतान करना	0.16
10	11	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख प्रस्तुत न करना	27.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत घुरकड़ी के गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 व 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किये गये थे, इन अंकेक्षण प्रतिवेदनो के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2018 से 31/03/2019 तक

क्र0सं0	पैरा सं.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	–
2.	5	अनिर्णीत	–
3.	6	अनिर्णीत	–
4.	9	अनिर्णीत	–
5	11	अनिर्णीत	–
6	13	अनिर्णीत	–
7	14	अनिर्णीत	–
8	15	अनिर्णीत	–
9	16	अनिर्णीत	–
10	18	अनिर्णीत	–

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र0सं0	पैरा स.	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	अनिर्णीत	–
2.	4.1	निर्णीत	उक्त अवधि की रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेषों में शून्य अंतर के तहत।
3.	5	अनिर्णीत	–
4.	6.1,6.2	अनिर्णीत	–
5	7	अनिर्णीत	–
6	8	अनिर्णीत	–
7	9.1	अनिर्णीत	–
8	9.2	अनिर्णीत	–
9	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
10	11	अनिर्णीत	–

11	12	अनिर्णीत	—
12	13	अनिर्णीत	—
13	14	अनिर्णीत	—
14	15	अनिर्णीत	—
15	16	अनिर्णीत	—
16	17	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
17	18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
18	19	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
19	20	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत घुरकड़ी के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.04.2024 से 19.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022—23	10/2022	05/2022
2023—24	06/2023	06/2023

अस्वीकरणः—वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध

न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/154 दिनांक 19.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हिमाचल ग्रामीण बैंक मटौर के मल्टीसिटी चैक संख्या 088666 दिनांक 04.05.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क) वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/138 दिनांकः 05.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया हैः–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	44957.32	60362.00	105319.32	85279.39	20039.93
2023-24	20039.93	132800.79	152840.72	96813.48	56027.24

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1342494.40	6072577.16	7415071.56	5339432.27	2075639.29
2023-24	2075639.29	2823640.06	4899279.35	3511281.68	1387997.67

कुल योग (1+2) 56027.24 +1387997.67 **=14,44,024.91**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹14,44,024.91** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि **परिशिष्ट–3** के अनुसार अन्तशेष **₹14,26,749.56** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र0 सं0	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत	एच•जी•बैंक मटौर	87890100042977	38375.01
2	स्वःस्त्रोत	आई.डी.बी.आई.बैंक कॉंगड़ा	1159104000010502	376.88
3	5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक कॉंगड़ा	20033022744	62326.37
4	टी•एस•सी	एच•जी•बैंक मटौर	87890171684391	0
5	एम•पी•लेड	एच•जी•बैंक मटौर	87890171687680	13143.18
6	आर.जी.एस.ए	यस•बैंक कॉंगड़ा	031594600000523	0
7	15वॉं वित्तायोग	एच•जी•बैंक मटौर	87890171694279	1312528.12
8	हस्तगत शेष			0
बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–				**₹1426749.56**
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार (पैरा 4) अन्तशेषः–				**₹1444024.91**
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–				**₹1426749.56**
अन्तरः–				**₹17275.35**

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना।

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.17 लाख का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घुरकड़ी द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹17275.35 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/139 दिनांक 06.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/04/2024 दिनांकः 19.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में अन्तर का शीघ्रतिशीघ्र मिलान करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एंव रोकड बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव

न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यो हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यो को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल, मस्ट्रोल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.मनरेगा	निल/18.05. 2022	988	निमार्ण कुल्ह राम स्वरूप की जमीन से सुरेश की जमीन वार्ड–6	16240
2 मनरेगा	निल/18.05. 2022	499,500	निमार्ण रोड शुभकरण के घर से मीरा के घर तक वार्ड–3	30450
3.मनरेगा	निल/17.05. 2022	417/24. 01.2024	निमार्ण कुल्ह राज कुमार की जमीन से अजय गिल की जमीन	116100
4 मनरेगा	निल/17.05. 2022	20/31.01. 2022	निमार्ण एम्बुलेन्स रोड प्रताप के घर से अमर सिंह के घर तक	149400

यह एक गम्भीर अनियमितता है। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/152 दिनांक: 18.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:– जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जा रहे है तथा अंकेक्षण अवधि की खाताबहियों को भी तैयार करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अंकेक्षण अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

5.1 अनुदान की राशि ₹13.88 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एंम मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/138 दिनांकः—05.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जो कि [redacted]1 व [redacted]2 पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31—03—2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1387997.67 की राशि उपयोग हेतु शेष थी:—

क.स.	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	5वाँ वित्त	31.03.2024	62326.37
2.	टी.एस.सी	31.03.2024	0
3.	एम.पी.लेड	31.03.2024	13143.18
4.	आर.जी.एस.ए	31.03.2024	0
5.	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	1312528.12
		कुल जोड	**1387997.67**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/141 दिनांकः 09.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्यः—जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

— 111 —

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त ,बजट,लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था, जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन(Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹1.17 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम बिना र्प्याप्त कारणों के परादेय/अदत्त (Outstanding) नहीं रखी जायेगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/138 दिनांकः 05/04/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में ₹1,17,210/– की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी। इतनी अधिक राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/142 दिनांकः–09.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की नियमित वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के सम्पत्तिकर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2024 को सम्पति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/152 दिनांकः–18.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरांत आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

दुकानों के किराये से आयः–

7.1 दुकानों के किराये की बकाया ₹0.58 लाख का वसूली हेतु शेष होनाः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा/अ0वृ0कां/2024/138 दिनांकः 05/04/2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार **दिनांक 31.03.2024 तक दुकानों के किराये की ₹57,677/– की राशि वसूली हेतु शेष थी,** जिसकी सत्यता की जांच अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी क्योंकि पंचायत द्वारा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर का न तो वार्षिक आधार पर और न ही माहवार अनुरक्षण किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **दिनांक 31.03.2024 को** दुकान किराया वसूली हेतु शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस किराये की वसूली हेतु कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/143 दिनांकः–10.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली करके सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा तथा दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर को भी तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) की अनुपालना सहित बकाया किराया की वसूली करने के लिये अपेक्षित कदम

यथाशीघ्र उठाया जाना सुनिश्चित करके दुकान किराया मांग व प्राप्ति रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹0.16 लाख राजस्व की हानिः—

ग्राम पंचायत घुरकड़ी द्वारा किराये पर दी गई दुकानों के किरायेदारों से देय किरायें पर **GST** की वसूली नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार दुकानों के किराये पर **@18% GST** की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण को **परिशिष्ट "5"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार ग्राम पंचायत की अंकेक्षण अवधि 2022—23 व 2023—24 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹88800/— पर देय GST 18% of 88800 = 15984 की वसूली उपरान्त इसे संबंधित विभाग में जमा करवाना अपेक्षित था। किन्तु नियमों के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय किराये पर **GST** की वसूली नहीं की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितत्ता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/143 दिनांकः—10.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः— जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त **GST** की राशि की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उक्त राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए ।

7.3 दुकानों को किराये पर आंबटित न करने व खाली रखने के कारण ग्राम पंचायत को ₹1.14 लाख की वित्तीय हानिः—

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार दुकाने किराये पर आंबटित न करने व खाली रखने के कारण किराया आय के रूप में ₹114000/—की वित्तीय हानि हुईः—

क्र0सं0	दुकान किराया संख्या	पुराना मासिक किराया (₹)	जिस अवधि के लिये दुकाने खाली रही	जितने माह दुकाने खाली रही	किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि (₹)
1	1	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
2	3	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
3	6	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
4	7	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
5	8	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
6	9	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
7	10	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
8	11	500	01.04.2022 से 31.03.2024	24	12000
9	13	250	01.04.2022 से 31.03.2024	24	6000
10	15	250	01.04.2022 से 31.03.2024	24	6000
11	16	250	01.04.2022 से 31.03.2024	24	6000
				कुल जोड	**114000**

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्याः– राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/144 दिनांकः–10.04.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाई गई, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः– जी.पी.

जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त खाली दुकानों को मुरम्मत करने उपरान्त किराये पर आंबटित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। अतः उपरोक्त उल्लेखित दुकाने मासिक किराये पर आंबटित न करने का पूर्ण औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए व उक्त दुकानों को मासिक किराये पर आंबटित न करने के कारण किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि ₹114000 का उतरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोतों से की जानी सुनिश्चित की जाए व खाली दुकानों के किराये पर देने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.4 दुकानों के किरायेदारों के साथ किराया अनुबन्ध न करनाः–

पंचायत सचिव ने कार्यालय पत्र क्रमाँकः–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा अँकेक्षण के दौरान सूचित किया कि पंचायत द्वारा उक्त सम्पत्तियों को किराये पर देते समय किरायेदारों के साथ किसी प्रकार का अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इसके अभाव में यदि भविष्य में पंचायत को कोई वित्तीय हानि होती है तो यह चूककर्ताओं का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

उपरोक्त अनियमितता के बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/143 दिनांकः 10.04.2024 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि आगामी समय में इससे संबंधित औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही दुकानों को किराये पर आंबटित किया जायेगा। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार किरायेदारों के साथ नियमानुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाये ताकि भविष्य में किराया वसूली/बढ़ौत्तरी में दिक्कत न आये, जिसकी अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.1 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.02 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अनुसार विवाह के पंजीकरण हेतु ₹ 200 (सामान्य) व आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल. के लिये ₹ 25 पंजीकरण शुल्क व 30 दिनों के बाद 90 दिनों के भीतर ₹400(सामान्य) से व ₹ 50 आई.आर.डी.पी / बी.पी.एल से प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क वसूल करके सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह शुल्क रजिस्टर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट "6"** पर संलग्न सूचना के अनुसार 09 विवाह पंजीकृत किये गये थे, जिस हेतु ₹200 / 400 की दर से कम राशि वसूली गई थी, जबकि उक्त वर्णित दरों के अनुसार ₹2400 वसूल किये जाने अपेक्षित थे।

कम वसूली का उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 142 दिनांकः 09 / 04 / 2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत घुरकड़ी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी. जी / 04 / 2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि बकाया विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार उक्त देय राशि की वसूली अविलम्ब करते हुये सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित

दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत घुरकड़ी द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

क.संख्या	वित्तीय स्थिति	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1.	2022–23	2050
2	2023–24	5600
	जोड	7650

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/142 दिनांक: 09/04/2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत घुरकड़ी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19/04/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

-119-

9.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹0.68 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25,26,27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत घुरकड़ी द्वारा अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार राशि ₹68,000/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टाक रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण संभव न हो सका:–

अनुदान	वा.स./ दिनांक	सामग्री का विवरण	बिल.सं0/ दिनांक	मात्रा/ रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि (₹)
1.निधि	04/13. 06.23	HP Printer MFP 136 A Foxin LED 18.5	462/20. 01.22	–	मै0 जयन्ती कम्पयूटर सिस्टम बिरता	15000 5000
2.निधि	04/13. 06.23	Toner 110A	482/01. 04.23	–	मै0 जयन्ती कम्पयूटर सिस्टम बिरता	3000
3.15वां वित	04/12. 06.23	Installation of Watercooler	162/13. 06.23	–	मै0 काथियाल इंजीनियरिंग सर्विस घुरकड़ी	45000
					कुल जोड	**68000**

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/152 दिनांक:–18.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19/04/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से स्टॉक प्रविष्टियां की जा रही है। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.2 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.17 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा [redacted]"7" पर संलग्न चुनिन्दा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत,बजरी,पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹116962.38 का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/151 दिनांकः–18.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19/04/2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत,बजरी,वोल्डर से संबंधित एम फॉर्म को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत

अपेक्षित कार्यवाही से अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक ''0853'' नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष ''102'' मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस ''81" खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर समुचित गणना कर वस्तुस्थिति अनुसार उसकी भी वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 निर्माण कार्य के लिये सामग्री खरीद हेतु ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

1.निर्माण एम्बुलेन्स रोड़ मेन रोड़ से अश्वनी शर्मा के घर तक की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 13786 के पृष्ठ संख्या 72, 73 व 74 में निर्माण सामग्री रेत का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 128, दिनांक निल के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 16 Cum का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹6720 का निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया था।

2..निर्माण एम्बुलेन्स रोड़ उतम सैणी के घर से रविंदर धीमान के घर तक की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 13786 के पृष्ठ संख्या 68,69 व 70 में निर्माण सामग्री रेत का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 121, दिनांक 11.04.2021 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत 8.75 Cum का क्रय किया गया था, तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹1845 का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था।

3.निर्माण एम्बुलेन्स रोड़ मेन रोड़ सड़क से अमरनाथ के घर की ओर की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 17793 के पृष्ठ संख्या 44,45 व 46 में निर्माण सामग्री रेत व बजरी का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया गया दर्शाया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 144 दिनांक 01.04.2023 के अनुसार निर्माण सामग्री रेत–19 Cum व बजरी–16(20mm) Cum, 18(40mm) Cum का क्रय किया गया था तथा क्रय की गई कुल सामग्री को खपत के रूप में दर्शाया गया था। क्रय/खपत की गई मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण ₹7057 का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था।

क्र0सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि (₹)
1.	नरेगा	रेत	16 Cum	11.52 Cum	4.48Cu3	1500	6720
2.	नरेगा	रेत	8.75 Cum	07.52 Cum	1.23Cu3	1500	1845
3.	नरेगा	रेत बजरी बजरी	19 Cum 16 Cum 18 Cum	16 Cum 15 Cum 15.71 Cum	3Cu3 1Cu3 2.29Cu3	1111 1276 1069	3333 1276 2448
					जोड		15622

<u>रेत:–</u>

1.Item- P/L Surface Locking Tiles =289.55SqmX 0.035(Sand Factr.)+5%(Varition) =10.64 Cum
Item- P/L(1:2:4) = 1.78 Cum X 0.47(Sand Factor) + 5%(Varition) = 0.88 Cum
Total =11.52 Cum

2.Item- P/L(1:2:4) =1.27 Cum X 0.47(Sand Factor) +5%(Varition) = 0.63 Cum
P/L of I.Locking Tiles =164.17Sq2X 0.040(Sand Factr.)+5%(Var.)=6.89 Cum
Total =7.52Cum

3.Item- P/L(1:4:8) =16.38 CumX 0.47(Sand Factor) = 7.70 Cum
P/L(1:2:4) =17.65 Cum X 0.47(Sand Factor) = 8.30 Cum
Total =16.00 Cum
P/L(1:4:8) =16.38 Cum X 0.89(Agg. Factor) =15.00 Cum
P/L(1:2:4) =17.65 Cum X 0.89(Agg. Factor) =15.71 Cum
Total =30.71 Cum

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/152 दिनांक: 14.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी.जी / 04 / 2024 दिनांक 19 / 04 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की संबंधित संविदाकार / फर्म से वसूली कर ली जाएगी तथा संबंधित शीर्ष के खाते मे जमा करवा दिया जाएगा। अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अधिक भुगतान की गई राशि बारे नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके संबंधित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 सभा निधि में प्राप्त राशि ₹0.25 लाख को बैंक में जमा न करवाने व सीधे खर्च करने बारेः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत घुरकड़ी के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्वः–स्त्रोतों जैसे सम्पति कर, दुकान किराया से वसूल की गई निम्नविवरणानुसार आय को बैंक में जमा न करवाकर कार्यालय व्यय, बिजली बिल, ग्राम सभा जलपान, स्टेशनरी व्यय इत्यादि के लिये सीधे खर्च कर दिया गया था, जिससे पंचायत के स्व–स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है बल्कि आपतिजनक भी है। इस गम्भीर प्रकरण को अंकेक्षण के दौरान ही अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग / अ0वृ0कां / 2024 / 152 दिनांकः 18 / 04 / 2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत घुरकड़ी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–जी.पी. जी / 04 / 2024 दिनांक 19 / 04 / 2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से नकद में भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

आय का विवरणः—

वित्तीय वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त आय (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	बैंक में जमा करवाये बिना व्यय की गई राशि (₹)	विवरण
2022—23	12847	निल	12847	गृहकर,दुकान किराया,
2023—24	12240	निल	12240	गृहकर,दुकान किराया
कुल योग	**25087**	**निल**	**25087**	

व्यय का विवरणः—

क्र0सं0	**वाउचर स0/ दिनांक**	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्या**	**व्यय विवरण**	**व्यय राशि (₹)**
1	16/12.08. 2022	निल	झण्डा खरीद	1735
2	39/28.03. 2023	निल	बिजली बिल	4405
3	40/28.03. 2023	निल	ग्राम सभा, पंचायत बैठक	6707
4	06/28.06. 2023	05	स्टेशनरी व्यय	1041
5	24/22.11. 2023	16	ग्राम सभा,पंचायत बैठक	11199
			कुल योग	**25087**

11 राशि ₹27.00 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित स्वीकृति/कार्य आदेश,प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता।

ग्राम पंचायत घुरकड़ी के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार तकनीकी सहायक स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव मे उक्त कर्मचारी के स्तर पर किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय खपत की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्र.स.	अवधि	अनुदान	निर्माण कार्य	स्वीकृत राशि (₹)	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किये गये
1.	2022—23	मनरेगा	निर्माण कुल्ह राम स्वरूप की जमीन से सुरेश जमीन तक	300000	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्यआदेश, प्राक्कलन,
2	2022—23	मनरेगा	निर्माण कुल्ह घुरकड़ी चौक से हनुमान मंदिर	300000	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्यआदेश, प्राक्कलन,
3	2022—23	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड करण के घर से प्यारे लाल के घर तक	300000	कार्यआदेश,प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,
4	2022—23	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड मेन सडक से रविन्दर के घर तक	300000	कार्यआदेश,प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,
5	2022—23	मनरेगा	निर्माण रोड शुभकरण के घर से मीरा के घर तक	300000	कार्यआदेश,प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,
6	2022—23	मनरेगा	निर्माण कुल्ह राज कुमार की जमीन से अजय गिल	300000	प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,कार्यआदेश, प्राक्कलन,
7	2022—23	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड यशपाल के घर से सतपाल के घर तक	300000	कार्यआदेश,प्राक्कलन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति,
8	2022—23	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड प्राइमरी स्कूल से मीरा देवी के घर तक वार्ड 2	300000	कार्य आदेश,प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति
9	2022—23 2023—24	मनरेगा	निर्माण एम्बुलेन्स रोड राकेश आंनद के घर से सुभाष सपेहिया के घर तक वार्ड 4	300000	कार्य आदेश,प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति
			कुल योग	**2700000**	

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/152 दिनांकः—18.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया,

जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19/04/2024 द्वारा सूचित किया कि उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹1.65 लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹ 165011/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अत्यंत गम्भीर अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/152 दिनांकः 18/04/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत घुरकड़ी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमों के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः–उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों के मनरेगा व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित है।

13 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियां:-

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "4(घ)" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

1.नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2.हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 93 (1) (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है ताकि निमार्ण कार्यो में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत घुरकड़ी द्वारा निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए है, जोकि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय– ग्यारह के नियम 93 की अवहेलना है।

3.नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

4.किसी भी योजना में निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

5.निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस, रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओं बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/152 दिनांकः18.04.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत घुरकड़ी को अवगत करवाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

14 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करनाः—

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि•प्र• पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/138 दिनांकः 05.04.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी , जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	——	7(3) एवं 10(1) तथा ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया	11	37

	है।		
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	....	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	मांग व संग्रह रजिस्टर	10	33

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इस अभिलेख का अनुरक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

समय—समय पर स्टोर/स्टोक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/138 दिनांकः 05.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—जी.पी.जी/04/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियां:–

16.1 रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जाना:–

रसीद बुकों के स्टॉक के अवलोकन में पाया गया कि इसे हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जायेगा।

इसके अतिरिक्त हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13 (5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/खाली रसीदों को प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप–4 के अनुसार बनाए गये स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। जिस कारण से अंकेक्षण अवधि के दौरान खरीदी गयी तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका तथा न ही अंकेक्षण जाँच संभव हो पाई है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान लेखांकित की गई आय भी रसीदों के अभिलेख के अभाव में संदिग्ध हो जाती है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदो का अभिलेख पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत घुरकड़ी द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया

– 131 –

गया था। ग्राम पंचायत घुरकड़ी के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 **लघु आपति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस कारण से लेखाओं के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

3359-3363 11 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)250/2019–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत घुरकड़ी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

ANNEXURE -1 (पैरा - 4.1 में अंतर्गत)

FINANCIAL POSITION OF GP GHURKARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	44957.32	60362.00	105319.32	85279.39	20039.93
2023-24	20039.93	132800.79	152840.72	96813.48	56027.24

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1342494.40	6072577.16	7415071.56	5339432.27	2075639.29
2023-24	2075639.29	2823640.06	4899279.35	3511281.68	1387997.67

ANNEXURE -2(पैरा संख्या'5-1" से संबंधित)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP GHURKARI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH FC	2022-23	149028.60	353326.77	502355.37	372494.00	129861.37
		2023-24	129861.37	286610.00	416471.37	354145.00	62326.37
2	TSC	2022-23	5224.40	62.00	5286.40	5286.40	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	MPLAD	2022-23	82.18	0.00	82.18	82.18	0.00
		2023-24	0.00	510566.00	510566.00	497422.82	13143.18
4	RGSA	2022-23	148814.00	47215.00	196029.00	136757.00	59272.00
		2023-24	59272.00	1636.00	60908.00	60908.00	0.00
5	15TH FC	2022-23	1039345.22	1914404.50	2953749.72	1067243.80	1886505.92
		2023-24	1886505.92	387154.00	2273659.92	961131.80	1312528.12
6	MNREGA	2022-23	0.00	3757568.89	3757568.89	3757568.89	0.00
		2023-24	0.00	1637674.06	1637674.06	1637674.06	0.00

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या– "4.1 (ख)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत घुरकड़ी विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0176001

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत घुरकड़ी के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत	एच•जी•बैंक मटौर	87890100042977	24817.29	38375.01
2	स्वःस्त्रोत	आई.डी.बी.आई.बैंक काँगड़ा	1159104000010502	352.88	376.88
3	5वां वितायोग	का•के•सह•बैंक काँगड़ा	20033022744	168703.37	62326.37
4	टी•एस•सी	एच•जी•बैंक मटौर	87890171684391	5224.40	0
5	एम•पी•लेड	एच•जी•बैंक मटौर	87890171687680	82.18	13143.18
6	आर.जी.एस.ए	यस•बैंक काँगड़ा	031594600000523	148814	0
7	15वाँ वित्तायोग	एच•जी•बैंक मटौर	87890171694279	1039345.22	1312528.12
	हस्तगत शेष			0	0
			कुल जोड.	**1387339.34**	**1426749.56**

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या– "61" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत घुरकड़ी विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 500 तथा 2023–24 में 520 परिवारों का रु 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	124300	500	50	25000	149300	0	149300
2023-24	149300	520	50	26000	175300	58090	117210
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹117210/– है।						

परिशिष्ट–5 (पैरा संख्या– "7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत घुरकड़ी विकास खण्ड काँगड़ा,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176001

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष दुकान किरायाः–

वितीय वर्ष	अथशेष	दुकानो की संख्या	दर/प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	26177	6	300/500/800	44400	70577	50800	19777
2023-24	19777	6	300/500/800	44400	64177	6500	57677

(परिशिष्ट "6" पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत घुरकडी , विकास खण्ड कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176001

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष विवाह शुल्क

क्र० सं०	नाम	विवाह शुल्क रजि0पृ0स0	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	सचिन कुमार	93	20.04.2022	निल	400.00	0.00	400.00
2	शिवम चौधरी	94	16.04.2022	06.06.2022	400.00	200.00	200.00
3	श्रेय सरोच	94	21.04.2022	18.07.2022	400.00	200.00	200.00
4	विवेक कुमार	94	06.06.2022	05.08.2022	400.00	0.00	400.00
5	पंकुश मेहरा	94	08.07.2022	16.08.2022	400.00	0.00	400.00
6	अनिल कुमार	94	21.04.2022	18.07.2022	400.00	200.00	200.00
7	राज कुमार	95	18.09.2022	10.10.2022	200.00	0.00	200.00
8	अजय कुमार	95	27.09.2022	14.10.2022	200.00	0.00	200.00
9	संजय कुमार	96	09.12.2022	16.01.2023	400.00	200.00	200.00
				कुल	₹ 3,200.00	₹ 8,000.00	₹ 2,400.00

परिशिष्ट– "7" (पैरा संख्या 9.2 " से संदर्भित) ग्राम पंचायत घुरकड़ी, खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

Name of Supplier	Vr. No. & Date	Bill No. & Date	Name of Item	Qty. (cum)	Determining Fator	Qty. (in MT.)	Royality (Per	Due Royality
				1.MNREGA				
M/s Neeraj Bhararia Suppliers Ghurkari	Nil/17.05.22	128/Nil	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	1.000	1.52	1.520	80	121.60
do	Nil/17.05.22	127/Nil	Sand	10.000	1.62	16.200	80	1296.00
			Bajri	3.000	1.52	4.560	80	364.80
do	Nil/17.05.22	126/03.01.2022	Sand	16.200	1.62	26.244	80	2099.52
			Bajri	32.400	1.52	49.248	80	3939.84
do	Nil/17.05.22	122/01.04.2021	Sand	18.000	1.62	29.160	80	2332.80
			Bajri	29.000	1.52	44.080	80	3526.40
do	Nil/17.05.22	121/11.04.2021	Sand	8.750	1.62	14.175	80	1134.00
			Bajri	1.100	1.52	1.672	80	133.76
							(1)Total	**17022.32**
M/S GMP Supplies Ghurkari	Nil/17.05.22	417/24.07.2021	Sand	27.000	1.62	43.740	80	3499.20
			Bajri	54.000	1.52	82.080	80	6566.40
do	Nil/17.05.2022	464/01.04.2021	Sand	13.590	1.62	22.016	80	1761.26
			Bajri	19.110	1.52	29.047	80	2323.78
do	Nil/25.05.2022	466/16.06.2021	Sand	7.274	1.62	11.784	80	942.71
			Bajri	14.549	1.52	22.114	80	1769.16
			Stone	13.875	2.24	31.080	80	2486.40
do	Nil/17.05.2022	530/01.04.2021	Sand	14.500	1.62	23.490	80	1879.20
			Bajri	13.000	1.52	19.76	80	1580.80
do	Nil/17.05.2022	526/11.10.2021	Sand	12.100	1.62	19.602	80	1568.16
			Bajri	24.200	1.52	36.784	80	2942.72
do	Nil/17.05.2022	524/11.10.2021	Sand	12.100	1.62	19.602	80	1568.16
			Bajri	24.100	1.52	36.632	80	2930.56
do	Nil/21.06.2023	716/15.10.2022	Sand	9.000	1.62	14.580	80	1166.40
			Bajri	14.000	1.52	21.28	80	1702.40
do	Nil/28.06.2023	725/05.05.2022	Sand	7.928	1.62	12.843	80	1027.47
			Bajri	13.875	1.52	21.09	80	1687.20
do	Nil/28.06.2023	721/15.02.2023	Sand	8.000	1.62	12.960	80	1036.80
			Bajri	16.500	1.52	25.08	80	2006.40
do	Nil/28.06.2023	720/15.10.2022	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
			Bajri	16.000	1.52	24.32	80	1945.60
do	Nil/28.06.2023	750/20.10.2022	Sand	32.000	1.62	51.840	80	4147.20
			Bajri	64.000	1.52	97.28	80	7782.40
do	Nil/21.06.2023	714/01.09.2022	Sand	12.000	1.62	19.440	80	1555.20
							(2)Total	**57430.78**
M/s Arvind Saini Ghurkari	Nil/21.06.2023	140/01.04.2023	Sand	15.000	1.62	24.300	80	1944.00
			Bajri	20.000	1.52	30.4	80	2432.00
do	Nil/21.06.2023	144/01.04.2023	Sand	19.000	1.62	30.780	80	2462.40
			Bajri	34.000	1.52	51.68	80	4134.40
do	Nil/21.06.2023	141/01.04.2023	Sand	16.000	1.62	25.920	80	2073.60
			Bajri	19.000	1.52	28.88	80	2310.40
do	Nil/21.06.	142/01.0	Sand	14.000	1.62	22.680	80	1814.40

00	2023	4.2023	Bajri	16.000	1.52	24.32	80	1945.60
							(3)Total	**19116.80**
							Total(1+2+3)	**93569.90**
							25% Penalty	**23392.48**
							G.Total	**116962.38**

Gram Panchayat